रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1971/ज्येष्ठ 10, 1893

No. 320] NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 1971/JYAISTHA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st May 1971

S.O. 2170/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as M/s. The Osmanshahi Mills Ltd., Nanded, Maharashtra, for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of—

Chairman

(1) Shri B. G. Damani, Chief Executive Officer, R.S.R.G. Mohta Mills, Akola.

Members

(2) Shri W. H. Date, Technical Adviser, Maharashtra State Textile Corp., Bombay-1.

(3) Shri R. N. Bansal, Registrar of Companies, Company Law Board, Bombay.

(4) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation Ltd.,

(5) Shri F. C. Dhaun, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd.

Member-Secretary

(6) Shri V. N. Moralwar, Director, Regional Office of the Textile Commissioner, Elysium Mansion, Walton Road, Bombay-1.

[No. 9(13)/Lic/Pol./71.]

S. K. SEHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1971

का० आ० 2170.—/15/आई०डी०आर०ए०/71 :—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स उसमान शाही मिल्स लि०, नन्देद, महाराष्ट्र नामक औद्योगिक उपक्रम में, निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिणाम में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की सम्भावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1) श्री बी० जी० दमानी, कार्य पालक अधिकारी, आर० एस० आर० जी० मोहता मिल्स, अकोला । — अध्यक्ष

(2) श्री डब्ल्य० एच० डेट, तकनीकी सलाहकार, महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम, बम्बई—1 — सदस्य

(3) श्री आर० एन० बंसल, समवाय पंजीयक, समवाय विधि बोर्ड, बम्बई । — सदस्य

(4) श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० । — सदस्य

(5) श्री एफ० सी० ग्रांत निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय वस्त्र सदस्य
निगम लि०

(6) श्री वी० एन० मोरलवार, निदेशक, वस्त्र आयुक्त का
क्षेत्रीय कार्यालय, इलिसियम मैंशन, वालटन रोड, बम्बई–1 सदस्य–सचिव

[सं० 9(13)/लाइ०/पोली/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971